

भारतीय आपराधिक कानून में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता और न्यायिक चुनौतियों का अध्ययन

डॉ. अतुल कुमार सोनी

सहायक प्राध्यापक,

पं. किशोरी लाल शुक्ल विधि महाविद्यालय,

राजनांदगांव, छत्तीसगढ़



<http://www.ujhmnds.org/> || Vol. 2 No. 3 (2026): Special August Issue

Date of Submission: 02-07-2026

Date of Acceptance: 22-07-2026

Date of Publication: 17-08-2026

प्रस्तावना

सारांश— डिजिटल प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रसार ने भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में साक्ष्य के स्वरूप को मौलिक रूप से परिवर्तित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे ई-मेल, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट, कॉल डिटेल् रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेज़ अब आपराधिक मुकदमों में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। प्रस्तुत शोधपत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता के विधिक ढाँचे का विश्लेषण करता है। इस अध्ययन में 2019 से 2024 के बीच उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय के 80 चयनित निर्णयों का विश्लेषण किया गया, जिनमें डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता पर विचार किया गया था। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 41% मामलों में डिजिटल साक्ष्य प्रमाणीकरण की प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण अस्वीकार किए गए। शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि भारत में डिजिटल साक्ष्य से संबंधित विधिक प्रावधान यद्यपि प्रगतिशील हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन में प्रशिक्षण, मानकीकरण और तकनीकी अवसंरचना की गंभीर कमी है।

मुख्य शब्द: डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर अपराध, न्यायिक प्रमाणीकरण

इक्कीसवीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है और अपराध का स्वरूप भी इसका अपवाद नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में साइबर अपराधों की संख्या 65,893 दर्ज की गई, जो वर्ष 2018 की तुलना में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्शाती है (NCRB, 2023)। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक अपराधों जैसे हत्या, धोखाधड़ी और अपहरण के मामलों में भी अब डिजिटल साक्ष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

भारतीय विधिक प्रणाली में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 65-B तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 39) द्वारा शासित होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014) के ऐतिहासिक निर्णय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए धारा 65-B(4) के अंतर्गत प्रमाण-पत्र को अनिवार्य माना। तथापि, व्यवहार में न्यायालयों को डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता, अखंडता और विश्वसनीयता को लेकर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य भारतीय आपराधिक कानून में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता से संबंधित विधिक प्रावधानों का विश्लेषण करना, न्यायिक निर्णयों में प्रकट होने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना, तथा इन चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है।



साहित्य समीक्षा

डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता विगत दो दशकों में भारतीय विधिक विमर्श का एक केंद्रीय विषय रहा है। विभिन्न विद्वानों ने इस विषय पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

वर्मा (2019) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि भारत में डिजिटल साक्ष्य के संबंध में विधिक ढाँचा तो विद्यमान है, किंतु जाँच एजेंसियों में तकनीकी दक्षता का अभाव एक गंभीर समस्या है। उन्होंने पाया कि अधिकांश पुलिस अधिकारियों को डिजिटल फॉरेंसिक प्रक्रियाओं का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

दुग्गल (2020) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 65-B का प्रावधान यद्यपि आवश्यक है, किंतु इसकी व्याख्या में न्यायालयों में एकरूपता का अभाव है। शर्मा एवं गुप्ता (2021) ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की 'चेन ऑफ कस्टडी' (अभिरक्षा श्रृंखला) की समस्या पर प्रकाश डाला और बताया कि साक्ष्य संग्रहण से लेकर न्यायालय में प्रस्तुति तक की प्रक्रिया में किसी भी चरण पर अनियमितता साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2018) में यह स्पष्ट किया कि जहाँ मूल उपकरण उपलब्ध न हो, वहाँ धारा 65-B(4) प्रमाण-पत्र में कुछ छूट दी जा सकती है। इस निर्णय ने अनवर पी.वी. के निर्णय में कुछ लचीलापन लाया। तत्पश्चात् अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंत्याल (2020) में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर अंतिम स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि धारा 65-B(4) प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, किंतु इसे विचारण के दौरान किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

त्रिपाठी (2021) ने अपने शोध में हैशिंग (hashing) तकनीक की भूमिका पर बल दिया और कहा कि MD5 या SHA-256 जैसे हैश मानों का उपयोग डिजिटल साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करने में सबसे प्रभावी उपाय है। सिंह एवं यादव (2022) ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन करते हुए पाया कि न्यायाधीशों में डिजिटल प्रौद्योगिकी की समझ का अभाव अनेक बार गलत निर्णयों का कारण बनता है।

मिश्रा (2022) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित नवीन प्रावधानों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। रमेश (2023) ने सोशल मीडिया पोस्ट की साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता पर विस्तृत चर्चा की और बताया कि स्क्रीनशॉट की प्रामाणिकता सिद्ध करना एक जटिल विधिक प्रश्न है।



बाजपेयी एवं कुमार (2023) ने डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की भारत में उपलब्धता का अध्ययन किया और पाया कि देश में केवल 32 सरकारी डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं, जो मामलों की

संख्या की तुलना में अपर्याप्त हैं। पांडेय (2023) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित डीपफेक साक्ष्य की चुनौती पर ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि वर्तमान विधिक ढाँचा इस नवीन खतरे से निपटने में अपर्याप्त है। जोशी (2024) ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 39 का तुलनात्मक अध्ययन पूर्ववर्ती धारा 65-B से करते हुए बताया कि नवीन अधिनियम में कुछ प्रक्रियागत सुधार किए गए हैं, किंतु मूलभूत चुनौतियाँ यथावत् हैं।

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट है कि विद्वानों ने डिजिटल साक्ष्य की विधिक, तकनीकी और प्रक्रियागत चुनौतियों को चिह्नित किया है, किंतु न्यायिक निर्णयों के व्यवस्थित मात्रात्मक विश्लेषण पर सीमित कार्य हुआ है। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

शोध उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भारतीय आपराधिक कानून में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता के विधिक ढाँचे का विश्लेषण करना।
- न्यायिक निर्णयों में डिजिटल साक्ष्य की अस्वीकृति के प्रमुख कारणों की पहचान करना।
- डिजिटल साक्ष्य की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में विद्यमान चुनौतियों का मूल्यांकन करना।
- उक्त चुनौतियों के समाधान हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में विधिशास्त्रीय एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति अपनाई गई है। शोध के लिए दो स्तरीय स्रोतों का उपयोग किया गया — प्राथमिक स्रोत के रूप में विधिक अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872/2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000) तथा न्यायिक निर्णय, एवं द्वितीयक स्रोत के रूप में शोध पत्र, पुस्तकें और विधिक टिप्पणियाँ।

प्रतिदर्श चयन: वर्ष 2019 से 2024 की अवधि में सर्वोच्च न्यायालय एवं पाँच उच्च न्यायालयों (दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद) के ऐसे 80 निर्णयों का उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन द्वारा चयन किया गया जिनमें डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता पर विचार किया गया था। निर्णयों की खोज SCC Online एवं Indian Kanoon डेटाबेस से की गई।

विश्लेषण पद्धति: प्रत्येक निर्णय का विश्लेषण निम्नलिखित मापदंडों पर किया गया — (अ) डिजिटल साक्ष्य का प्रकार, (ब) स्वीकार अथवा अस्वीकार का निर्णय, (स) अस्वीकृति का कारण, (द) धारा 65-B(4)/धारा 39 प्रमाण-पत्र की उपस्थिति, (इ) अपराध की श्रेणी। एकत्र

आँकड़ों का वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण (बारंबारता, प्रतिशत) किया गया।

विधिक ढाँचे का विश्लेषण

भारत में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता का विधिक आधार मुख्यतः दो अधिनियमों पर टिका है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ने इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को विधिक मान्यता प्रदान की और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 65-A और 65-B को सम्मिलित किया। धारा 65-B(1) के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित सूचना, जो कागज़ पर मुद्रित, संग्रहित अथवा प्रतिलिपित की गई हो, को बिना मूल को प्रस्तुत किए साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि धारा 65-B(2) में वर्णित शर्तें पूरी हों तथा धारा 65-B(4) के अंतर्गत एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हुआ) ने पूर्ववर्ती धारा 65-B के प्रावधानों को धारा 39 में समाहित किया है। नवीन अधिनियम ने 'इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड' की परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया है तथा सेमीकंडक्टर मेमोरी एवं क्लाउड स्टोरेज को भी स्पष्ट रूप से सम्मिलित किया है। तथापि, प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता का मूल सिद्धांत अपरिवर्तित है।

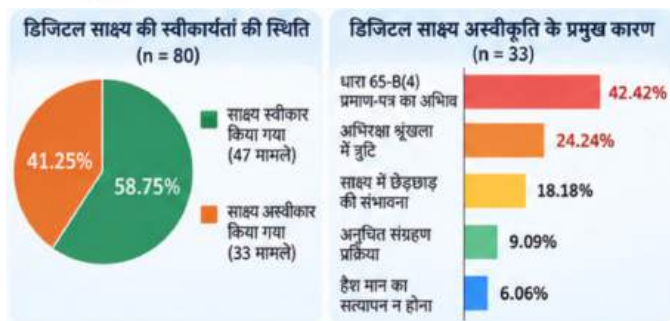
परिणाम एवं विवेचना

अध्ययन में चयनित 80 निर्णयों के विश्लेषण से प्राप्त प्रमुख परिणाम निम्नवत् हैं:

तालिका 1: डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता की स्थिति (n=80)

स्थिति	निर्णयों की संख्या	प्रतिशत
साक्ष्य स्वीकार किया गया	47	58.75%
साक्ष्य अस्वीकार किया गया	33	41.25%
कुल	80	100%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विश्लेषित मामलों में 41.25% मामलों में डिजिटल साक्ष्य अस्वीकार किए गए, जो एक चिंताजनक अनुपात है।



संभावना अधिक रहती है और मूल सर्वर डेटा विदेशी कंपनियों (Meta, X आदि) के नियंत्रण में होता है — यह निष्कर्ष रमेश (2023) के अध्ययन से भी मेल खाता है।

प्रमुख न्यायिक चुनौतियाँ:

विश्लेषण से निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ चिह्नित की गईं:

प्रथम, प्रमाणीकरण की जटिलता एक मूलभूत चुनौती है। अर्जुन पंडितराव खोटेकर (2020) निर्णय के बावजूद, व्यवहार में यह प्रश्न बना रहता है कि प्रमाण-पत्र किसके द्वारा और किस स्तर पर प्रस्तुत किया जाए। अनेक मामलों में जाँच अधिकारी उस कंप्यूटर के नियमित संचालन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते जिससे साक्ष्य निकाला गया है।

द्वितीय, तकनीकी अवसंरचना की कमी एक व्यावहारिक बाधा है। बाजपेयी एवं कुमार (2023) के अनुसार भारत में सरकारी डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की संख्या अत्यंत अपर्याप्त है। इसके कारण फॉरेंसिक जाँच में विलंब होता है, जो समय पर न्याय प्रदान करने में बाधक है।

तृतीय, न्यायिक क्षमता का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। सिंह एवं यादव (2022) के अनुसार अनेक न्यायाधीशों को डिजिटल प्रौद्योगिकी की तकनीकी बारीकियों — जैसे मेटाडेटा, हैशिंग, एन्क्रिप्शन — की पर्याप्त समझ नहीं है, जिसके कारण वे तकनीकी विशेषज्ञों की राय पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं।

चतुर्थ, डीपफेक एवं AI-जनित सामग्री का खतरा एक उभरती चुनौती है। पांडेय (2023) ने इंगित किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्मित नकली ऑडियो और वीडियो की पहचान करना वर्तमान फॉरेंसिक उपकरणों के लिए कठिन होता जा रहा है, और भारतीय कानून में इस विशिष्ट खतरे से निपटने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में डिजिटल साक्ष्य की स्वीकार्यता का विधिक ढाँचा, विशेषकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लागू होने के पश्चात्, प्रगतिशील दिशा में अग्रसर है। तथापि, विधिक प्रावधानों की प्रभावशीलता उनके समुचित क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि अस्वीकृति के कारणों में प्रक्रियागत त्रुटियाँ (विशेषकर प्रमाण-पत्र का अभाव और अभिरक्षा श्रृंखला में कमी) तकनीकी त्रुटियों से कहीं अधिक प्रमुख हैं — यह दर्शाता है कि समस्या विधि में नहीं, अपितु विधि के क्रियान्वयन में है।

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं:

तालिका 2: डिजिटल साक्ष्य अस्वीकृति के प्रमुख कारण (n=33)

अस्वीकृति का कारण	बारंबारता	प्रतिशत
धारा 65-B(4) प्रमाण-पत्र का अभाव	14	42.42%
अभिरक्षा श्रृंखला में त्रुटि	8	24.24%
साक्ष्य में छेड़छाड़ की संभावना/आशंका	6	18.18%
अनुचित संग्रहण प्रक्रिया	3	9.09%
हैश मान का सत्यापन न होना	2	6.06%
कुल	33	100%

यह परिणाम दर्शाते हैं कि अस्वीकृति का सबसे प्रमुख कारण (42.42%) धारा 65-B(4) के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण-पत्र की अनुपस्थिति रहा। यह निष्कर्ष दुग्गल (2020) तथा वर्मा (2019) के अध्ययनों से मेल खाता है जिन्होंने जाँच एजेंसियों में प्रक्रियागत जागरूकता के अभाव को एक प्रमुख समस्या बताया था। अभिरक्षा श्रृंखला में त्रुटि (24.24%) दूसरा प्रमुख कारण रहा, जो शर्मा एवं गुप्ता (2021) के निष्कर्षों की पुष्टि करता है।

तालिका 3: डिजिटल साक्ष्य के प्रकार अनुसार वितरण (n=80)

साक्ष्य का प्रकार	बारंबारता	स्वीकृति दर
सीसीटीवी/वीडियो फुटेज	24	70.83%
कॉल डिटेल् रिकॉर्ड (CDR)	19	68.42%
इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़/ई-मेल	15	53.33%
सोशल मीडिया सामग्री	12	33.33%
मोबाइल फोन डेटा	10	50.00%

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सीसीटीवी फुटेज की स्वीकृति दर (70.83%) सबसे अधिक रही, जबकि सोशल मीडिया सामग्री की स्वीकृति दर (33.33%) सबसे कम पाई गई। इसका कारण यह है कि सीसीटीवी फुटेज एवं CDR प्रायः संस्थागत स्रोतों (बैंक, दूरसंचार कंपनी) से प्राप्त होते हैं, जहाँ धारा 65-B(4) प्रमाण-पत्र अपेक्षाकृत सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। इसके विपरीत, सोशल मीडिया सामग्री की प्रामाणिकता सिद्ध करना कठिन होता है क्योंकि स्क्रीनशॉट में छेड़छाड़ की

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: पुलिस अधिकारियों, अभियोजकों तथा न्यायाधीशों के लिए डिजिटल साक्ष्य संग्रहण, संरक्षण और प्रस्तुतीकरण पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एवं राज्य न्यायिक अकादमियों में डिजिटल फॉरेंसिक पर विशेष पाठ्यक्रम सम्मिलित किए जाने चाहिए।

मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP): डिजिटल साक्ष्य के संग्रहण, पैकेजिंग, परिवहन एवं भंडारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए, जिससे अभिरक्षा श्रृंखला की अखंडता सुनिश्चित हो सके।

फॉरेंसिक अवसंरचना का विस्तार: प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक सुसज्जित डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशाला की स्थापना की जानी चाहिए तथा निजी प्रमाणित फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को भी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

AI-जनित साक्ष्य हेतु विधायी प्रावधान: डीपफेक और AI-निर्मित सामग्री की पहचान एवं उसकी साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्यता हेतु स्पष्ट विधायी प्रावधान किए जाने चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा प्राप्ति हेतु पारस्परिक विधिक सहायता संधियों (MLAT) को अद्यतन एवं सुगम बनाया जाना चाहिए।

भारतीय न्याय प्रणाली को डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए विधिक, तकनीकी और संस्थागत सुधारों का समन्वित प्रयास आवश्यक है। केवल तभी डिजिटल साक्ष्य अपनी पूर्ण क्षमता के साथ न्याय प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो सकेंगे।

संदर्भ सूची

1. बाजपेयी, ए. एवं कुमार, आर. (2023). भारत में डिजिटल फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थिति: एक मूल्यांकन. *भारतीय विधि समीक्षा*, 15(2), 45-62.
2. दुग्गल, पवन (2020). *साइबर लॉ: भारतीय परिप्रेक्ष्य*. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, नई दिल्ली.
3. जोशी, एस. (2024). भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: धारा 39 का विश्लेषण. *नेशनल लॉ स्कूल जर्नल*, 12(1), 78-95.
4. मिश्रा, के. (2022). भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य: नवीन प्रावधानों का आलोचनात्मक अध्ययन. *क्रिमिनल लॉ जर्नल*, 128(4), 201-218.
5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (2023). *भारत में अपराध 2022*. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
6. पांडेय, वी. (2023). डीपफेक और भारतीय साक्ष्य विधि: एक उभरती चुनौती. *इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी*, 19(2), 112-130.
7. रमेश, टी. (2023). सोशल मीडिया साक्ष्य की स्वीकार्यता: भारतीय न्यायालयों का दृष्टिकोण. *जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट*, 65(3), 301-320.
8. शर्मा, पी. एवं गुप्ता, एम. (2021). इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य में चेन ऑफ कस्टडी: विधिक एवं तकनीकी पक्ष. *भारतीय आपराधिक विधि पत्रिका*, 22(1), 88-105.
9. सिंह, ए. एवं यादव, डी. (2022). डिजिटल साक्ष्य और न्यायिक क्षमता: उच्च न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन. *सुप्रीम कोर्ट केसेज जर्नल*, 8(4), 55-71.
10. त्रिपाठी, आर. (2021). डिजिटल साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करने में हैशिंग तकनीक की भूमिका. *साइबर लॉ टाइम्स*, 6(2), 34-49.
11. वर्मा, एस. (2019). भारत में डिजिटल साक्ष्य: विधिक ढाँचा और व्यावहारिक चुनौतियाँ. *इंडियन बार रिव्यू*, 46(3), 122-140.
12. अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर, (2014) 10 SCC 473.
13. शफी मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, (2018) 2 SCC 801.
14. अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंत्याल, (2020) 7 SCC 1.